फाउंसलिंग कराई जाएगी।

निजी संस्थानों को 31 अक्टूबर तक लेनी होगी यूटीयू से संबद्धता

जागरण संवाददाता, देहरादून: वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के अंतर्गत आने वाले निजी संस्थानों को वर्ष 2023-24 की संबद्धता के लिए 31 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा।

विवि के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने इस आशय का पत्र सभी संस्थानों के प्राचार्य व निदेशकों को जारी किया है। विवि के संबद्धता के नियमों के अनुसार सभी संस्थानों को तकनीकी कोर्स के संचालन के लिए विवि से संबद्धता लेना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इंजीनियरिंग कालेजों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता लेनी होती है। इसके अलावा जो विवि परीक्षा, मूल्यांकन व दाखिला प्रक्रिया कराता है, उससे भी संबद्धता लेनी होती है।

वर्तमान में यूटीयू से 14 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज व 65 अन्य संस्थान संबद्ध हैं। इन संस्थानों में बीटेक के अलावा 18 अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी संस्थानों में 40 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं प्रत्येक वर्ष दाखिला लेते हैं। कुलसचिव आरपी गुप्ता ने बताया कि यूटीयू से संबद्धता लेने के लिए संस्थानों को 31 अक्टूबर तक विवि की पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद विवि की ओर से गठित समिति संस्थान का भौतिक निरीक्षण करेगी। इसके बाद 31 जनवरी तक विवि को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

31 से पहले करें श्रीदेव सुमन विवि से संबद्धता को आवेदन

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए संबद्धता लेने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की है। विवि के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को विवि के पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। कुलपति डा.पीपी ध्यानी ने बताया कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना विवि का मुख्य लक्ष्य है। बताया कि 10 वर्षों से विभिन्न कारणों से महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान नहीं की जा सकी है।

Scanned with CamScanner